P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-10* January- 2021
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

अनुसूचित जातियों पर सामाजिक अधिकारों से संबंधित अत्याचारः एक अध्ययन

Atrocities on Scheduled Castes Related to Social Rights: A Study

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 26/01/2021, Date of Publication: 27/01/2021

जितेन्द्र कुमार चौधरी
सहायक प्राध्यापक,
समाजशास्त्र विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, दमोह,
मध्य प्रदेश, भारत

सारांश

सामाजिक अधिकारों के अन्तर्गत समाज के अन्य सदस्यों को छति पहुंचाए बिना कुछ भी करने की स्वतंत्रता सम्मलित है। किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दुकान, सार्वजनिक जल पान गृह, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, होटल, अस्पताल, धर्मशाला, सराय, मुसाफिरखाना में जाने से रोकने पर, नदी, झरना, तालाब, कुआं, हौज, पानी के अन्य स्त्रोतों–सार्वजनिक नल, स्नान घाट, कब्रिस्तान, श्मशान, सड़क आदि पर जाने पर रोक लगाने आदि पर रोक लगाना दण्डनीय अपराध है। इन सामाजिक अधिकारों से अनुसूचित जातियों के सदस्यों को उच्च जातियों द्वारा बाध्यतापूर्ण रूप से वंचित रखना या अवरोध उत्पन्न करना अनुसूचित जातियों के प्रति सामाजिक अत्याचार की श्रेणी में आता है। प्रस्तुत आलेख जबलपुर जिले से संबंधित अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जातियों से संबंधित है। जिसमें अनुसूचित जाति के अत्याचार से पीड़ित दलितों का अध्ययन किया गया है। जिन्हें उच्चजातियों के व्यक्तियों द्वारा विभिन्न सामाजिक अधिकारों के उपभोग से वंचित किया गया।

Social rights include the freedom to do anything without leaving the other members of the society untouched. River, waterfall, pond, well, water, other sources of water-public tap, if any Scheduled Caste is prevented from going to the shop, public drinking water house, public entertainment place, hotel, hospital, Dharamshala, inn, Musafirkhana , Banning of bathing ghats, cemeteries, cremation, road etc., etc. is a punishable offense. Depriving members of the Scheduled Castes from these social rights as compulsively or obstructing them by the upper castes comes under the category of social oppression towards the Scheduled Castes. The article presented is related to the scheduled castes suffering from atrocities related to Jabalpur district. In which the Dalits suffering from atrocities of Scheduled Castes have been studied. Who were denied the consumption of various social rights by the persons of the upper castes.

मुख्य शब्द : अनुसूचित जाति, सामाजिक अधिकार, सामाजिक अधिकारों के उपभोग पर दण्ड।

Punishment On Consumption Of Scheduled Castes, Social Rights, Social Rights.

प्रस्तावना

सामान्यतया यह आशा की जाती है, कि संविधान के द्वारा समानता की गारंटी देने के बाद समाज में समान व्यवहार होने लगेगा व व्यक्ति, व्यक्ति के बीच व्यवहार में भेदभाव नहीं रहेगा, किन्तु यह बात सत्य नहीं है। कानून के सामने समानता के व्यवहार में शत–प्रतिशत परिणित होना आसान नहीं है। समानता के संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद कमोवेश सभी समाजों में रंग, लिंग, जन्म जाति, धर्म, विश्वास, क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर तथा जो लोग पिछड़े व कमजोर हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। कानून के समक्ष समानता की भावना के व्यवहारिक प्रयोग में एक अशिक्षित गरीब व कमजोर व्यक्ति की तुलना में एक शिक्षित, सम्पन्न व सशक्त व्यक्ति की स्थिति बेहतर होती है। सामान्यतया व्यवहार में पुलिस व प्रशासन का व्यवहार भी सबके साथ समान नहीं होता। समाज में जो व्यक्ति उच्च पदों पर पदासीन हैं, सम्पत्तिशाली है, या सशक्त व सम्पन्न हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता

है। कमजोर तथा गरीब लोगों के साथ सामान्यतया अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता।[1]

सामाजिक अधिकारों से सम्बन्धित अत्याचार

सामाजिक अधिकरों के अन्तर्गत समाज के अन्य सदस्यों को क्षति पहुंचाए बिना कुछ भी करने की स्वतन्त्रता सम्मिलित है। गतिविधि एवं शिक्षा की स्वतन्त्रता भी मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चूंकि भारत के सभी नागरिकों को अधिकारों की समानता प्रत्याभूत हैं तथा राज्य के कल्याणकारी दिग्विन्यास के सामान्य एवं सार्वभौमिक दावों की अनुसूचित जातियां अपवाद नहीं हैं, अतः यह प्रकट है कि वे भी अपने सामाजिक अधिकारों का उपयोग करती हैं। वे यदा–कदा, बरताव की समानता (उच्चतर जातियों हेतु रखे गए प्यालों में जल अथवा चाय दिए जाने की मांग करना); विकास के अधिकर एवं मूलभूत संसाधनों तक पहुँच, एक नल–कूप से एक नल–तन्त्र बिछाना), अनुसूचित जातियों हेतु विशेष रूप से निर्दिष्ट जल के उच्चतर जातियों द्वारा अपवहन अनुसूचित जातियों हेतु विशेष रूप से निर्दिष्ट जल के उच्चतर जातियों द्वारा अपवहन अथवा कपड़े धोना, आवास निर्माण एंव भूमि तक पहँच (सरकार–विनिहित टेलीविजन सैटों को अनुसूचित जाति सभा–भवनों अथवा अनुसूचित जाति पंचायत सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगना); अपनी जातिगत पहचान का दावा करने में समर्थ होना (जातियों के मध्य विवाह एंव प्रेम) आदि की मांग करते हैं।

समाजिक अधिकारों के ऐसे दावों को भी उच्चतर जातियों के दमनकारी एवं भेदभावपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ता है। विरोध की प्रकृति एवं स्वरूपों के अन्तर्गत सामाजिक निर्वासन एंव बहिष्कार, आवागमन की स्वतन्त्रता के अधिकारों जैसे भोजन, जल भूमि एवं आवास तक पहुँच की अस्वीकृति, साम्प्रदायिक निर्वासन एवं सामाजिक अवखण्डन, अनुसूचित जातियों को यातना देना एवं निर्वस्त्र घुमाना (महिलाओं को सम्मिलित करते हुए), जाति एंव साम्प्रदायिक तनावों से पूर्ण एक वातावरण प्रवर्तित कर देना तथा प्रजातान्त्रिक अनुसूचित जाति निकायों को अस्वीकृत करना सम्मिलित हैं।[2]

साहित्यावलोकन

चौधरी जितेन्द्र कुमार[3] (2015) दलितों पर अत्याचार प्रकृति एवं वैधानिक प्रावधान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में इन्होने अपने शोध प्रबंध में दलितों पर होने वाले अत्याचार में होने वाले परिवर्तन के स्वरूप को प्रस्तुत किया है जो मुख्यतः महिलाओं पर होने वाले यौन अत्याचार की ओर तीव्रता से बढ़ रहा है। तथा पुलिस प्रशासन एवं न्यायिक प्रक्रियाओं में होने वाला विलम्ब एवं अस्थिरता तथा न्याय प्राप्त करने के दौरान उत्पन्न होने वाले समस्याओं का उल्लेख विस्तारपूर्वक किया है जो दलितों को और पीड़ित करने वाली होती है जिसके परिणामस्वरूप दलित न्याय प्राप्त करने हेतु न्यायालय एवं प्रशासन की कार्यप्रणालियों द्वारा अपने आपको और अधिक पीड़ित महसूस करते हैं।

सुखदेव थोराट[4] (2011) भारत में दलित (सामान्य लक्ष्य की खोज) पुस्तक में अनुसूचित जाति के प्रति भेदभाव एवं अत्याचार की घटनाओं की व्याख्या के लिए भारत में अपराध प्रतिवेदनों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के प्रतिवेदनों से प्राप्त अतिरिक्त आंकड़ां तथा जातिगत भेदभाव एवं अत्याचार पर किए गए कुछ प्राथमिक अध्ययनों द्वारा इनकी पुष्ठी की गई है।

पूरणमल[5] (2010) दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय अपनी पुस्तक में सामाजिक न्याय के विविध पक्षों का क्रमिक एवं सैद्धांतिक विश्लेषण किया है। पुस्तक में सामाजिक न्याय के स्वरूप, परम्परागत भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, दलितोद्धार, भारतीय संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय संबंधी उपबंधों तथा दलित वर्ग के कल्याण संबंधी योजनाओं का विश्लेषण किया है।

मानचंद खंडेला[6] (2008) दलित अधिकार एवं व्यवहार पुस्तक में लेखन में राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचार की सूक्ष्म विवेचना को प्रस्तुत किया है। दलितों के संख्या बल में अधिक होने पर भी सत्ता से विमुख, ललक होते हुए भी शिक्षा से दूर, जानकारी होते हुए भी मजमेबाजों का शिकार और क्षमता होते हुए भी रोजगार से वंचित होता जा रहा है। प्रश्न उठाया है।

अध्ययन के उद्देश्य

अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक स्थलों पर अपमानित किये जाने की स्थिति का पता लगाना।

अध्ययन विधि एवं अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध प्रपत्र जबलपुर जिले से संबंधित अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित है। जिसमें अध्ययन विधि के रूप में वर्णात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग कर 250 पीड़ित सूचनादाताओं का चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति द्वारा अपराध की प्रकृति के अनुसार किया गया है। अध्ययन में शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

चयनित प्रतिदर्श

जबलपुर जिला से संबंधित सन् 2000 से 2010 तक

अत्याचार की प्रकृति एवं न्यायालय के निर्णय के आधार पर (40.32 प्रतिशत) चयनित प्रतिदर्श

अ.प्रकृति / न्यायालय का निर्णय	हत्या	हत्या का प्रयास	बलवा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मार–पीट चोट	कुल	प्रतिशत
दोष सिद्ध	3	3	1	7	7	1	19	41	16.4
बरी	5	5	2	14	15	1	40	82	32.8

राजीनामा	–	1	1	2	2	1	6	13	5.2
विचाराधीन	8	9	2	19	21	1	54	114	45.6
कुल	16	18	6	42	45	4	119	250	100
प्रतिशत	6.4	7.2	2.4	16.8	18	1.6	47.6		

स्त्रोतः जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ट में दर्ज के 620 मामलों में से निर्णय के निर्णय के आधार पर 250 चयनित प्रतिदर्श।

उपरोक्त सारणी में 2000 से 2010 तक अत्याचार की विभिन्न प्रकृतियों में पीड़ित व्यक्तियों में जिनका न्यायालय में मामला चला, कुल 250 पीड़ितों में 6. 4 प्रतिशत हत्या, 7.2 हत्या के प्रयास से, 2.4 प्रतिशत बलवा, 18 प्रतिशत शीलभंग, 16.8 प्रतिशत बलात्कार के, 1.6 प्रतिशत अपहरण एवं 47.6 प्रतिशत मार–पीट चोट से संबंधित मामले पाए गये। पीड़ितों में से 16.4 प्रतिशत को न्यायालय से न्याय प्राप्त हुआ जिसमें आरोपी को सजा मिली। 32.8 प्रतिशत मामलों में आरोपी व्यक्ति बरी हो गया, जबकि 5.2 प्रतिशत मामलों में राजीनामा हुआ। वहीं 45.6 प्रतिशत मामले न्यायालय में विचाराधीन रखे गये।

सारणी क्रमांक–01

अस्पृश्यता बरते जाने की स्थिति

अत्याचार की प्रकृति	हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल	प्रतिशत
हाँ	7	8	4	13	19	3	49	103	41०2
नहीं	9	10	2	29	26	1	70	147	58०8
कुल	**16**	**18**	**6**	**42**	**45**	**4**	**119**	**250**	**100**
प्रतिशत	**6.4**	**7.2**	**2.4**	**16.8**	**18**	**1.6**	**47.6**		

उपरोक्त सारणी क्रं. 1 में अत्याचार से पीड़ित अनुसुचित जाति के पीड़ितएवं उनके परिवार के सदस्यों के साथ अस्पृश्यता बरते जाने की स्थिति को दर्शाया गया है। अत्याचार की सभी प्रकृतियों के पीड़ित/परिवार के सदस्यों के साथ अस्पृश्यता बरती जाती है। 41.2 प्रतिशत सूचनादाताओं के अनुसार अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता है, जो मुख्यतः ग्रामीण परिवेश में रहते है। 58.8 प्रतिशत सूचनादाताओं के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार सामान्य रूप से प्रचलन में नहीं पाया गया। नगरीय क्षेत्रों में अस्पृश्यता संबंधी आचरण कम है। जिसका मुख्य कारण इनका अपनी ही जातियों वाली बस्तियों में रहना पाया गया है।

सारणी क्रमांक–2

सार्वजनिक स्थलों पर अपमानित किये जाने की स्थिति

अपमानित किया जाता है	हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल	प्रतिशत
हाँ	5	7	4	14	17	.	39	85	34
नहीं	11	11	2	28	28	4	81	165	66
कुल	**16**	**18**	**6**	**42**	**45**	**4**	**119**	**250**	**100**
प्रतिशत	**6.4**	**7.2**	**2.4**	**16.8**	**18**	**1.6**	**47.6**		

उपरोक्त सारणी क्रं. 2 के अनुसार अत्याचार से पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्ति एवं उसके परिवार के सदस्यों को सार्वजनिक स्थल पर अपमानित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है। 34 प्रतिशत सूचनादाताओं ने अपमानित किये जाने की स्थिति को स्वीकारा है, जबकि 66 प्रतिशत ने अस्वीकृत किया जिसका मुख्य कारण महिलाओं से संबंधित यौनिक कारण पाया गया तथा साधारण मारपीट एवं चोट में भी ऐसे कारण देखे गये वही निवास का स्थान का सीधा संबंध अस्पृश्यता के आचरण से संबंधित दिखाई देता है।

सारणी क्रमांक–3

चाय–पान की दुकान में अस्पृश्यता बरते जाने की स्थिति

अस्पृश्यता बरती जाती है	हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल	प्रतिशत
हाँ	5	8	4	11	12	3	43	86	34०4
नहीं	11	10	2	31	33	1	76	164	65०6
कुल	**16**	**18**	**6**	**42**	**45**	**4**	**119**	**250**	**100**
प्रतिशत	**6.4**	**7.2**	**2.4**	**16.8**	**18**	**1.6**	**47.6**		

उपरोक्त सारणी क्रं. 3 में चाय–पान की दुकानों में अस्पृश्यता बरते जाने की स्थिति में 34.4 प्रतिशत के अनुसार ऐसा आचरण होता है, जहाँ उन्हें चाय–पान की दुकानों पर भेद–भाव का सामना करना पड़ता है, जबकि 65.6 प्रतिशत के अनुसार उनके साथ ऐसा व्यवहार नही होता है। जिसका सीधा संबंध निवास स्थान, लिंग (महिलाओं से संबंधित आचरण में नही पाया गया)

सूचनादाताओं की दलिद्रतापूर्ण एवं दीन–हीन स्थिति भी इस तरह के भेदभाव को प्रदर्शित करती है।

सारणी क्रमांक–4

परम्परागत कार्यों को न करने के कारण अत्याचार की स्थिति

अत्याचार होता है है	हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल	प्रतिशत
हाँ	1	2	1	2	3	.	10	19	7ण्6
नहीं	15	16	5	40	42	4	109	231	92ण्4
कुल	**16**	**18**	**6**	**42**	**45**	**4**	**119**	**250**	**100**
प्रतिशत	**6.4**	**7.2**	**2.4**	**16.8**	**18**	**1.6**	**47.6**		

उपरोक्त सारणी क्रं. 4 में परम्परागत कार्यों को न करने के कारण अत्याचार की स्थिति को दर्शाया गया है, इस तरह का आचरण पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में देखा गया है, जहाँ 7.6 प्रतिशत सूचनादाताओं के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, जबकि 92.4 प्रतिशत सूचनादाओं के साथ ऐसा व्यवहार प्रचलन में नहीं पाया गया। जिसका कारण यह पाया गया कि अधिकांश पीड़ित कृषक मजदूर एवं अन्य क्षेत्रों में मजदूरी किया करते है। बहुत ही कम स्वंतत्र व्यवसाय में संलग्न थे।

सारणी क्रमांक–5

बारातियों के साथ गालीगलौच एवं अपमानित किये जाने की स्थिति

अपमानित किया जाता है	हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल	प्रतिशत
हाँ	3	4	3	6	8	2	14	40	16
नहीं	13	14	3	36	37	2	105	210	84
कुल	**16**	**18**	**6**	**42**	**45**	**4**	**119**	**250**	**100**
प्रतिशत	**6.4**	**7.2**	**2.4**	**16.8**	**18**	**1.6**	**47.6**		

उपरोक्त सारणी क्रं. 5 में बारातियों के साथ गाली–गलौच एवं अपमानित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है। 16 प्रतिशत सूचनादाओं के अनुसार बारातियों के साथ गाली–गलौच एवं अपमानित किया जाता है, जबकि 84 प्रतिशत पीड़ितों एवं उनके संबंधियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ मुख्य रूप से ग्रामीण अंचलों में ऐसा व्यवहार देखने में मिलता है।

सारणी क्रमांक–6

निवास स्थान छोड़ने हेतु मजबूर किये जाने की स्थिति

मजबूर किया जाना	हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल	प्रतिशत
हाँ	2	3	2	1	2	.	17	27	10ण्8
नहीं	14	15	4	41	43	4	102	223	89ण्2
कुल	**16**	**18**	**6**	**42**	**45**	**4**	**119**	**250**	**100**
प्रतिशत	**6.4**	**7.2**	**2.4**	**16.8**	**18**	**1.6**	**47.6**		

उपरोक्त सारणी क्रं. 6 में निवास स्थान छोड़ने हेतु मजबूर किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें 10.8 प्रतिशत पीड़ित अनुसूचित जाति के सदस्य को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर किया गया। जबकि 89.2 प्रतिशत पीड़ितों को निवास स्थान छोड़ने हेतु मजबूर नहीं किया गया। यौन संबंधी मामले एवं अत्याधिक अत्याचार एवं असुरक्षा की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर पाया गया।

सारणी क्रमांक–7

उच्च जातियों की तरह आचरण करने के कारण अपमानित किये जाने की स्थिति

अपमानित किया जाता है	हत्या	हत्या का प्रयास	बलबा	बलात्कार	शीलभंग	अपहरण	मारपीट चोट	कुल	प्रतिशत
हाँ	3	4	3	11	9	.	21	51	20ण्4
नहीं	13	14	3	31	6	4	98	199	79ण्6
कुल	**16**	**18**	**6**	**42**	**45**	**4**	**119**	**250**	**100**
प्रतिशत	**6.4**	**7.2**	**2.4**	**16.8**	**18**	**1.6**	**47.6**		

उपरोक्त सारणी क्रं. 7 में उच्च जातियों की तरह आचरण करने के कारण अपमानित किये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें 20.4 प्रतिशत पीड़ित सूचनादाताओं के साथ ऐसा व्यवहार किया गया जबकि 79.6 प्रतिशत पीड़ित के साथ ऐसा व्यवहार नहीं पाया गया। मुख्यतः मारपीट चोट, बलबा एवं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामलों में ऐसा व्यवहार पाया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण

शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है, कि अस्पृश्यता से संबंधित व्यवहार का प्रचलन

आज भी सामान्य रूप से व्याप्त है, अनुसूचित जातियों के सदस्यों को सार्वजनिक स्थलों पर अपमानित करना चाय–पान की दुकान में अस्पृश्यता का आचरण, परम्परागत कार्यों को करने हेतु प्रताड़ित करना, सवर्णों की तरह आचरण करने पर प्रताड़ित करना आदि सभी व्यवहार मुख्य रूप से ग्रामीण अंचलों में पाये गये हैं।

निष्कर्ष

संवैधानिक रूप से अनुच्छेद–17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। परंतु व्यवहारिक रूप से अस्पृश्यता का चलन ग्रामीण अंचलों में अभी भी पाया जाता है। नगरीय क्षेत्रों में अनुसूचति जाति के पीड़ित मुख्यतः अपनी ही जाति बस्तियों में होने के कारण तथा जाति के छुपाये जाने के कारण उनके प्रति अस्पृश्यता जैसा कम व्यवहार होता है। अधिकांशतः महिलाओं के प्रति होने वाले यौन संबंधी अत्याचारों में निम्न स्तरीय निर्धन महिलाएं अधिक पीड़ित पाई जाती है तथा जातिगत आधार पर एवं पुरूषों से विवाद पर भी महिलाओं को अपना शिकार बनाया जाता है। अतः शोध से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है, कि जबलपुर जिले में मुख्यतः ग्रामीण लोगों में अस्पृश्यता अभी भी व्यवहार में पाई जाती है।

सुझाव

1. न्यायालय द्वारा पीड़ित दलितों के मामलों का निपटारा शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए एवं न्यायायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को अधिक जोर दिया जाना।
2. अत्याचार से पीड़ित दलितों को प्राप्त होने वाली राहत राशि को उन्हें शीघ्र एवं सुनिश्चित राशि प्रदान की जानी चाहिए।
3. पुलिस द्वारा घटना स्थल का उचित निरीक्षण करना चाहिए, तथा घटना स्थल पर शीघ्रता से पहचाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. शासन द्वारा पीड़ित पक्ष में मुकदमें की पैरवी कर रहे, वकील द्वारा पीड़ित पुरूष एवं महिलाओं से घटना की पूर्ण जानकारी सुनने एवं गंभीरतापूर्ण उसे समझना तथा उस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि वकील द्वारा ही सही तथ्यों एवं साक्ष्य को उपस्थित न करने के कारण ही पीड़ितों को उचित न्याय प्राप्त नहीं हो पाता।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *चण्डी.के.टी. (1991), सोशल जस्टिल एण्ड बेसिक रिक्वायरमेंटस फॉर एक्जिस्टेन्स लीगल न्यूज एण्ड न्यूज, 5 अंक, पृ. 12*
2. *थोरात, सुखदेव (2011), भारत में दलितः सामान्य लक्ष्य की खोज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ. 195*
3. *चौधरी, जितेन्द्र कुमार (2015), दलितों पर अत्याचार प्रकृति एवं वैधानिक प्रावधान का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, मध्यप्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के विशेष संदर्भ में, अप्रकाशित शोध प्रबंध, रा.दु.वि.वि., जबलपुर (म.प्र.)*
4. *थोरात, सुखदेव (2011), भारत में दलितः सामान्य लक्ष्य की खोज, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली*
5. *पूरणमल, (2010) दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर*
6. *खंडेला, मानचंद, (2008), दलित अधिकार एवं व्यवहार, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर*
7. *जबलपुर अनुसूचित जाति कल्याण प्रकोष्ठ में पंजीबद्ध रिपोर्ट (2000–2010) के अनुसार*